www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 05.04.2017

पॉंच लाख रू. की घूस स्वीकार करने पर तत्कालीन आयकर अधिकारी को एक लाख रू. के जुर्माने सहित 10 वर्ष की कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, देहरादून ने तत्कालीन आयकर अधिकारी, रूद्रपुर (उत्तराखण्ड) श्री अरूण कुमार रंजन को आज एक लाख रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की सजा सुनाई।

सीबीआई ने श्री अरूण कुमार रंजन के विरूद्ध शिकायतकर्ता से पॉंच लाख रू. की घूस की मॉंग पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 दिनांक 28.05.2014 को मामला दर्ज किया। सीबीआई ने जाल बिछाया व आरोपी को शिकायतकर्ता से पॉंच लाख रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, देहरादून में आरोपी के विरूद्ध दिनांक 17.07.2014 को आरोप पत्र दायर हुआ।

विचारण के पश्चात, नामित अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****